राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प 7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट I/58990 जयपुर, दिनांकः– 01/10/2014

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विभागीय अधिसूचना क्रमांकः–प 7(198) परि/नियम/मु/2006/पार्ट I दिनांक 31 जनवरी, 2003 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा इसके साथ संलग्न सारणी में स्तंभ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए क्रम से पूर्व विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन करने एवं किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिए उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुराने संख्याक रखने के लिए शुल्क राशि, उसके स्तंभ संख्या 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट प्रकार से विहित करती है:–

सारणी

क्र.सं	यान की श्रेणी एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक का वर्णन	शुल्क की राशि(रूपयों मे)
1	2	3
1.	दुपहिया यान	
	(i) पंजीयन क्रमांक 1, 9, 786 एवं 9999 के आवंटन के लिए	10,000/–
	(ii) अन्य क्रमांको के लिए	5000/–
	(iii) पुराने यान पर आवंटित किसी भी क्रमांक को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु	5000/–
2.	दुपहिया से भिन्न यान	
	(i) पंजीयन क्रमांक 1 एवं 786 के आवंटन के लिए	1,01,000/–
	(ii) पंजीयन क्रमांक 2 से 9, 11, 101, 1111 तथा 9999 के लिए	51000/–
	(iii) अन्य 3 या 4 समान अंक वाले पंजीयन क्रमांको के लिए	21000/–
	(iv) शेष क्रमांक	11000/–
	(v) पुराने यान पर आवंटित किसी भी क्रमांक को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु	21000/–

परन्तु नये यान पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इच्छित पंजीयन क्रमांक शुल्क वह राशि होगी जो नीलामी द्वारा (उपर्युक्त राशि को सम्मिलित करते हुए) अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति से पंजीयन अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोडा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः– प 7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट I/ 58991-999 जयपुर, दिनांकः– 1/10/2014

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .. ..में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, मुख्यालय, जयपुर।
4. मुख्यालय अधिकारीगण......................................(समस्त)।
5. अपर परिवहन आयुक्त (जोन)..........................(समस्त)।
6. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ....(समस्त)।
7. जिला परिवहन एवं पंजीयन अधिकारी ....(समस्त) को पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उनके क्षेत्राधीन नियुक्त किए गए समस्त अधिकृत पंजीयन अधिकारियों (ट्रेड धारक) को अधिसूचना में उल्लेखित शुल्क के संबंध में सूचित कर पालना सुनिश्चित करावें।
8. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु.)